81

न्यायालय : माननीय सदस्य राजस्व मंडल म०प्र०ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा, म०प्र०.

पुनरीक्षण प्र०क्र०/ /017

20रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20 | 5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

Rs 30/-

III/निग०/रीवा/भू-रा०/2017/2419

भोलाप्रसाद गौतमतनय स्व0 रामावतार गौतम निवासी सुरहुरियाकला0 तह0 नईगढी, जिलारीवा, म0प्र0.

----आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता.

अधि० श्री विनोद तिवारी द्वारा पेश / 28-7-17

बनाम

यदुनाथ प्रसाद शुक्लातनय श्री शिवशंकरप्रसाद निवासी ग्राम सुरहुरियाकला, तह0 नईगढी, जिला रीवा, म0प्र0.

---अनावेदक/गैरपुनरीक्षणकर्ता.

न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार तहसील नईगढी, जिलारीवा द्वारा प्रक0क्र0 45/ए-12/2013-14 मे पारित आदेश दिनांक 17.07.2017 के विरूद्ध म0प्र0भू0रा0सं0 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण निगरानी .

मान्यवर,

आवेदक की ओर से निवेदन नीचे लिखेअनुसार है :-

-:: संक्षिप्त विवरण ::-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है किआवेदक निगरानीकर्ता भूमि खसरा क्र0 21/2 क्षेत्रफल 0.02ए0 तथा भूमि खसरा क्र0 20 रकवा 0.40ए0 स्थित ग्राम सुरहुरियाकला, मे स्थित भूमि आवेदक की भूमि है, अनावेदक ने यदुनाथ प्रसाद ने अपने ससुर तत्कालीन भूमि रामावतार पाण्डेय से क्रय किया था । अनावेदक पुलिस विभागमे सरकारीनौकरी मे था जिसके कारण अनावेदक का राजस्व विभाग व पुलिस विभागमे अनुचित प्रभाव रहता है । अनावेदक ने अपनी भूमि ख0 क्र0 21/1 की आड मे सीमावर्ती आवेदक की भूमि खसरा क्र0 21/2 व 20 मे सरहंगीवश

निरंतर..2पर

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक–तीन / निग. / रीवा / भू.रा. / 2017 / 2419

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.05.18	आवेदक अधिवक्ता श्री विनोद तिवारी उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील नईगढ़ी, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 45 / ए–12 / 13–14 में पारित आदेश दिनांक 17.7.2017 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक के तर्कों पर विचार किया। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार न्यायालय में सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि ग्राम सरहुरियाकला की आराजी न0 29 / 1 रकबा 0.162 हे0 सीमाकंन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। तहसीलदार के आदेशानुसार राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 21.06.16 को सरहद्दी कास्तकारों को सूचना जारी कर दिनांक 23.06.16 को सीमांकन हेतु सूचना दी। जिसपर सरहद्दी कास्तकार भीमसेन, राजनारायण पाण्डे, आभाधर, भोलाप्रसाद, कृष्णमणि द्विवेदी के नाम अंकित किये गये हैं। आवेदक भोलाप्रसाद, गौतम तनय रामअवतार गौतम के नाम के सामने हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं। आवेदक द्वारा आपत्ति भी प्रस्तुत की, जिसका निराकरण तहसीलदार द्वारा	

अपने आदेश दिनांक 17.07.17 में लेख किया है कि आपत्तिकर्ता की आपत्ति राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् सरहद्दी कास्तकारों को सूचना जारी की गई थी, लेकिन आवेदक द्वारा सीमांकन में रूचि नहीं ली गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदक को विधिवत् सूचना नहीं दी। इससे उसको सीमांकन की कार्यवाही का पता ही नहीं लगा उसकी अनुपस्थिति में सीमांकन किया जाना म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। इससे तहसीलदार तहसील नईगढी का आदेश त्रुटिपूर्ण होने से स्थिर रखने योग्य नहीं है।

4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील नईगढ़ी, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 45 / ए–12 / 13–14 में पारित आदेश दिनांक 17.7.2017 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार तहसील नईगढी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह सरहद्दी कास्तकारों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए धारा 129 के प्रावधानों के तहत पुनः सीमांकन की कार्यवाही करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। पक्षकार सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य